बाल संरक्षण विषयक

व रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर मीना मंच के लिए

प्रशिक्षण माड्यूल

मीना मंच का बाल संरक्षण पर प्रशिक्षण के उद्देश्य

1. बच्चों को बाल अधिकारों और बाल संरक्षण की मूल बातें समझाना।
2. बच्चों को यह बताना कि बाल शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह जैसी समस्याएँ क्या होती हैं।
3. मीना मंच सदस्यों को यह सिखाना कि बच्चों से सम्बंधित किसी प्रकार की समस्याएं बाल हिंसा या शोषण के मामले को कैसे रिपोर्ट किया जाए।
4. बच्चों की सुरक्षा के लिये गठित हेल्प लाइंस व इसके प्रयोग की जानकारी देना।
5. विद्यालय और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र (CWPC, DCPU, CMPO, CWC आदि) की जानकारी देना।

प्रशिक्षण अवधि 3–4 घंटे

लक्षित समूह– मीना मंच के सदस्य (कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी)

संचालक– मीना मंच सुगमकर्ता/ग्राम पंचायत फैसिलिटेटर/शिक्षक/बाल संरक्षण अधिकारी

प्रशिक्षण की संरचना

समय– कुल समय अवधि: 4 घंटे

सेशन	समय	शीर्षक	पद्धति
सेशन–1	30 मिनट	परिचय और आइस–ब्रेकर	गतिविधि के माध्यम से
सेशन–2	30 मिनट	बाल संरक्षण क्या है?	गतिविधि: पोस्टर या फ्लैश कार्ड के माध्यम से
सेशन–3	60 मिनट	बाल अधिकार और बाल संरक्षण की समझ	प्रजेन्टेशन और पोस्टर
सेशन–4	40 मिनट	बाल संरक्षण में मीना मंच की भूमिका (मीना मंच क्या कर सकता है)	वीडियो और पोस्टर
सेशन–5	40 मिनट	बाल संरक्षण मामलों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया	गतिविधि रोल प्ले (बच्चों के द्वारा)
सेशन–6	40 मिनट	सामूहिक योजना एवं समापन	निर्दिष्ट प्रपत्र

नोट: उपरोक्त प्रशिक्षण संरचना के अनुसार प्रषिक्षण माड्यूल कुल 4 घंटे की अवधि के लिये बनाया गया है। संचालन इन सत्रों को दिवस के अनुसार बाँट कर 2–3 प्रशिक्षण में सभी सत्रों को कवर कर सकते है।

सेशन 1: परिचय और आइस-ब्रेकर (30 मिनट)

गतिविधि:

- संचालक बच्चे एक गोले में बैठाएं।
- संचालक प्रश्न पूछे: "सुरक्षा" का मतलब क्या होता है?
- उसके बाद बच्चों से चर्चा करे "सुरक्षित बच्चा" कौन है?
- हर बच्चा एक-एक शब्द में अपनी राय दे।
- सभी बच्चें की राय को कही लिखें उसपे चर्चा करे।

सेशन: बाल संरक्षण क्या है? (30 मिनट)

बच्चा कौन है

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा कहलाता है।

बाल संरक्षण क्या है–

बाल संरक्षण से तात्पर्य 0 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को हिंसा, शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा व दुर्व्यवहार से सुरक्षित करना है । इसका आशय यह भी है कि बच्चों को किसी भी तरह के नाजुक और हानिकारक स्थितियों से सुरक्षा दी जाये।

बाल संरक्षण के प्रमुख मुद्दे

- **बाल विवाह**–18 वर्ष से पहले लड़की और 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी।
- **बाल श्रम**–14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाना।
- **स्कूल छोड़ना**– बच्चा / बच्ची स्कूल में नामांकित होने के बाद भी नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं रहता / रहती या लगातार 30 दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहता / रहती है।
- **शारीरिक हिंसा:** मारना, पीटना, दंड देना।
- **मानसिक / भावनात्मक हिंसा:** डाँटना, अपमानित करना, डराना, अलग-थलग करना।
- **यौन हिंसा:** छेड़छाड़, अनुचित स्पर्श, यौन शोषण।
- **उपेक्षा:** बच्चे को भोजन, शिक्षा या प्यार से वंचित रखना।

- **"साइबर बदमाशी"** मोबाईल, कंप्यूटर, संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न।

मानसिक उत्पीड़न

शारीरिक उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न

दंडनीय अपराध

साइबर बदमाशी/साइबर स्टॉकिंग

दंडनीय अपराध

गतिविधि– बच्चों को सभी मुद्दे के फलैश कार्ड के माध्यम से उनको समझाये और उनको क्रम में लगाने को कहे कि कौन सी समस्या उनके गांव में सबसे अधिक है।

प्रश्न:

- क्या ऐसी स्थितियाँ हमारे गांव में भी हैं?
- मेना मंच/सीपीसी/पंचायत क्या कर सकती है?
- कौन-कौन सी योजनाएं इन अधिकारों का समर्थन करती हैं?

सारांश–

बच्चे भविष्य नहीं, वर्तमान हैं। पंचायत प्रतिनिधि इन अधिकारों के स्थानीय रक्षक हैं।

बाल संरक्षण से संबंधित कानून:

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009
- किशोर न्याय अधिनियम
- POCSO अधिनियम, 2012 (यौन अपराधों से बाल सुरक्षा)
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- बाल श्रम एवं किशोर (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2006

सेशन 3: बाल अधिकार और बाल संरक्षण की समझ

बच्चों के मुख्य चार अधिकार पर बच्चों से चर्चा करे

मुख्य अधिकार

1. **जीवन का अधिकार (Survival)**
2. **सुरक्षा का अधिकार (Protection)**
3. **विकास का अधिकार (Development)**
4. **भागीदारी का अधिकार (Participation)**

गतिविधि: ''वास्तविक जीवन से अधिकार जोड़ना'':

- कमरे के चार कोनों में चार्ट पेपर (चारों अधिकारों के नाम से)
- फ्लैशकार्ड/छोटे पेपर पर बच्चों के अधिकार से सम्बंधित कुड स्थितियाँ लिखें, जैसे:
- ''10 साल की बच्ची को खेलने नहीं दिया जाता''
- ''SC बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा''

इस तरह बच्चों के अधिकार के अलग अलग स्थितियां लिखकर बच्चों को दे।

→ सभी बच्चें अपने अपने कार्ड को संबंधित अधिकार के कोने में लेकर जाने को कहे और चर्चा करे-

- क्या ऐसी स्थितियाँ हमारे गांव में भी हैं?
- मीना मंच क्या कर सकती है?
- ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति क्या कर सकती है?
- कौन-कौन सी योजनाएं इन अधिकारों का समर्थन करती हैं?

सेशन-4 बाल संरक्षण में मीना मंच की भूमिका

समय 45 मिनट

उद्देश्य-बच्चों को बताना कि वे बाल संरक्षण में कैसे सहयोग कर सकते हैं।

गतिविधि - बच्चों के साथ समूह बनाकर या अलग अलग बच्चों से एक अभ्यास कराये कि स्कूल व समुदाय में बाल सुरक्षा पर मीना मंच क्या कर सकते है।

बच्चों द्वारा जो कार्य तय होंगे उससे बच्चों के सामूहिक प्रयास से स्कूल के लिये एक पोस्टर बनवाएं

- पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता: ''हमारी सुरक्षा - हमारी जिम्मेदारी''

मीना मंच के द्वारा किये जाने वाले कार्य उदाहरण के रूप में-

- स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बाल सुरक्षा पर जागरूकता।
- बच्चों के शिकायतों की पहचान करना।
- स्कूल न आने वाले बच्चों का निगरानी करना व शिक्षक / सुगमकर्ता को बताना।
- स्कूल में बाल मैत्री सुझाव पेटिका का संचालन करना।
- ग्राम बाल कल्याण संरक्षण समिति के साथ मिलकर कार्य करना।
- बाल अधिकार दिवस, बेटी बचाओ अभियान, बाल विवाह निषेध दिवस जैसे अवसरों पर विद्यालयों और गांवों में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

संदेश मीना मंच की आवाज बच्चों की सुरक्षा की गूंज है।

सेशन 5 बाल संरक्षण मामलों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया

उद्देश्य: प्रतिभागियों को सिखाना कि बाल संरक्षण मामलों की रिपोर्ट कहाँ, कैसे और किसे करनी चाहिए।

प्रश्न: अगर कोई बच्चा मुसीबत में है – तो उसे क्या करना चाहिए?

मुख्य जानकारी: रिर्पोटिंग प्रक्रिया के चरण बच्चों को बताये जैसे–

	समस्या की पहचान
मीना मंच सदस्य / बच्चे / शिक्षक	यदि कोई बाल विवाह, बाल श्रम, हिंसा या शोषण का मामला दिखे या पता चले।
	↓
	सूचना देना
मीना मंच शिक्षक / बाल मित्र शिक्षक	मामले की सूचना विद्यालय के प्रधानाचार्य / सुगमकर्ता ग्राम बाल संरक्षण समिति को दें।
	↓
	प्रारंभिक हस्तक्षेप
ग्राम बाल संरक्षण (CWPC)	स्थिति की जाँच कर उचित कदम उठाना।
	↓
	रिपोर्ट आगे भेजना
CWPC → DCPU / CMPO / पुलिस	यदि मामला गंभीर है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या चाइल्डलाइन 1098 पर सूचना देना।
	↓
	फॉलोअप और सहायता
DCPU / CWC	बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना और परामर्श या पुनर्वास सहायता प्रदान करना।

हेल्पलाइन एवं सहायता केंद्र (Helplines and Support Systems)

- 1098 – चाइल्डलाइन (24*7 बाल सहायता नंबर)
- 1090, 181 – वोमेन हेल्प लाइन नम्बर (24*7 बाल सहायता नंबर)
- ग्राम बाल संरक्षण समिति (CWPC)
- DCPU (District Child Protection Unit)
- CWC (Child Welfare Committee)